

समाहरणालय, गोडडा ।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VII

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

संख्या- 01/2018-19 (बुस्टर पम्पींग स्टेशन) 227/भूअ0 गोडडा दिनांक :- 14/2/19

चूँकि उपायुक्त, गोडडा को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड के 2x800MW ताप विद्युत परियोजना के लिए बुस्टर पम्पींग स्टेशन निर्माण हेतु मौजा- भगवानपुर, थाना नं0- 282, अंचल- ठाकुरगंगटी, जिला- गोडडा में कुल- 2.250 एकड़ यानि हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 2.250 एकड़ यानि हेक्टेयर है और जो मौजा- भगवानपुर, थाना नं0- 282, अंचल- ठाकुरगंगटी, जिला-गोडडा में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकबा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6	77	निजी	धानी दोएम	1.720	0.0194	मो० बाला, पिता- स्व० गोपाल मंडल	69	78	89	76
2		59	निजी	धानी दोएम	0.490	0.0192	अवधबिहारी मंडल, पिता- स्व० आनंद मंडल	70, 68	77	99	76
3						0.0192	मो० कमला, पिता- स्व० देवेन्द्र मंडल				
4						0.0192	मृत्युंजय मंडल, पिता- स्व० आनंद मंडल				
5						0.0192	राजकुमार मंडल, पिता- स्व० नंदुलाल मंडल				
6						0.0315	सबिता मंडल, पिता- स्व० अनिल मंडल				
7						0.0314	जयकांत मंडल, पिता- स्व० दिनदयाल मंडल				
8						0.0315	मो० बिन्दु, पिता- स्व० तरुण मंडल				
9						0.0459	सत्यनारायण मंडल, पिता- स्व० बिनोद मंडल				
10						0.0459	हराधन मंडल, पिता- स्व० बिनोद मंडल				
11						0.0688	मोहनलाल मंडल, पिता- स्व० रघुनाथ मंडल				
12						0.0688	मो० अलका, पिता- स्व० नित्यानंद मंडल				

13					0.0353	अशोक मंडल, पिता- स्व0 सुबल मंडल				
14					0.0353	मो0 मीना देवी, पिता- स्व0 कृष्ण मंडल				
15					0.0688	मो0 चिंता, पिता- स्व0 सुभाष मंडल				
16					0.0917	नुनीबाला देवी, पिता- स्व0 भुवनेश्वर मंडल				
17					0.0917	मो0 रंभा, पिता- स्व0 भुवनेश्वर मंडल				
18					0.0917	मनोज मंडल, माता स्व0 बिंदू देवी, पिता स्व0 नारायण मंडल				
19					0.2751	सुनील मंडल, पिता- स्व0 भूदेव मंडल				
20					0.1834	जयदेव मंडल, पिता- स्व0 उमाकांत मंडल				
21					0.1834	सुखदेव मंडल, पिता- स्व0 उमाकांत मंडल				
22					0.3668	पतितपावन मंडल, पिता- स्व0 रामेश्वर मंडल				
23					0.3668	धीरेनचंद्र मंडल, पिता-स्व0 रामेश्वर मंडल				
24	9	38	निजी	धानी दोएम	0.040	स्व0 देवीया हेम्व्रम, पिता- स्व0 गोजुन हेम्व्रम के बारिसानो से मुलाकात नहीं हुई है।	37	45	46	39
कुल :-					2.250	2.250	एकड़			

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या शून्य है।

मौजा- भगवानपुर, थाना नं0- 282, अंचल- ठाकुरगंगटी, जिला- गोड्डा में कुल- 2.250 एकड़ यानि ... हेक्टेयर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार* नीचे दिये गये हैं :-

क्रमांक	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का हकदारी का लाभ	हकदारी/उपबंध
1	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन	प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को 50000.00 (पचास हजार) रू0 पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जायेगा।

उपरोक्त भूमि चिन्हित एवं मापित है, इस जमीन में इच्छुक/हितबद्ध सभी व्यक्ति, स्वयं अथवा प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 15-03-19 से 23-03-19 तक कार्यालय अवधि- 11:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक श्री अनिल कुमार तिकी, अपर समाहर्ता, गोड्डा/श्री पवन कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष उपस्थित होकर अपना आवेदन दो प्रति में दे सकते हैं एवं प्राप्ति प्राप्त कर लेंगे।

अपने दावे का प्रकार और क्षतिपूर्ति के लिए किसी दावे एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित दावे या धारा- 12 के तहत जमीन के मेजरमेंट से संबंधित आपत्ति/दावा प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बँटवारे के आधार पर प्राप्त भूमि के दावा के संबंध में सक्षम न्यायालय का आदेश की प्रति देंगे।

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 227 / भू0अ0 दिनांक :- 14/02/19।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे। साथ ही प्रकाशित अधिघोषणा का पेपर कटिंग जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा को गोड्डा जिले के वेवसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- IT Manager, DPMU (Revenue), गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा को गोड्डा जिले के वेवसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 227 / भू0अ0 दिनांक :- 14/02/19।

प्रतिलिपि :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिघोषणा में अंकित दाग संख्या में अवस्थित वृक्षादि का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, महागामा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिघोषणा में अंकित दाग संख्या में अवस्थित भौतिक संरचना का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी को निदेश है कि उक्त अधिघोषणा जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- अधियाची पदाधिकारी, वरीय उपाध्यक्ष, अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 227 / भूअ0 दिनांक 14/02/19

- प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि - सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उपायुक्त,
गोडडा।